वित्तीय स्वीकृति/रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट

संख्या: 26/2015/542प्रो0/51-2016-09(122)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल, जवाहर भवन,
लखनऊ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2016

विषय:- दिनांक 26-09-2016 एवं 27-09-2016 को लखनऊ में आयोजित पांच राज्यों की क्षेत्रीय मध्यस्थता कान्फ्रेंस में राज्य अतिथि घोषित किये गये मा0 न्यायमूर्तिगण के प्रवास तथा भोजन आदि की व्यवस्था पर हुई व्यय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 215/एसएलएसए-43/2015(होटल), दिनांक 21 जनवरी, 2106 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26-09-2016 एवं 27-09-2016 को लखनऊ में आयोजित पांच राज्यों की क्षेत्रीय मध्यस्थता कान्फ्रेंस में राज्य अतिथि घोषित किये गये मा0 न्यायमूर्तिगण के प्रवास तथा भोजन की व्यवस्था के निमित्त होटल लीनेज, गोमतीनगर, लखनऊ से संबंधित देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 74,264/-(रूपये चौहत्तर हजार दो सौ चौसठ मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक :मूलदेयक

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 26/2015/542 (1)प्रो/51-2016-09(122)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- विषेश सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग-7 (क0नि0) को उनके पत्र संख्या 30/सात-न्याय-7-2016-01/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2016 के क्रम में ।
5- प्रबन्धक, होटल लीनेज, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।